राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमाक:–एफ24( ) NOC18-19/ बी.एड / आकाशि / 18 / 251 दिनांक:– 04-04-2018

शुद्धि पत्र

आयुक्तालय,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी आदेश क्रमाकं एफ24( ) NOC18-19/ बी.एड / आकाशि / 18 / 212 दिनाकं 30.03.2018 में आदर्श कॉलेज ऑफ एजूकेशन, ग्राम–आनन्दपुरी, तहसील–आनन्दपुरी, जिला–बांसवाडा को सत्र 2018–19 के लिए B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed.(4 Year Integrated) पाठ्यक्रम संचालन हेतु 50 सीट(1 यूनिट) अंकित हो गई है। एनसीटीई के संशोधित मान्यता आदेश के आधार पर उक्त पाठ्यक्रम संचालन हेतु 50 सीट (1 यूनिट) **के स्थान पर 100 सीट (2 यूनिट) पढ़ा जावें।** पूर्व आदेश में जारी समस्त शर्तें यथावत रहेगी।

4/4
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव,अति0मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।
3. संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
4. समन्वयक, बी.एड., बी.ए.बी.एड. / बी.एससी. 2018 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर ।
5. रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मान्यता पत्र के बिन्दू 4 व 5 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
6. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई. जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग,जयपुर।
7. परियोजना अधिकारी,राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय,जयपुर।
8. सचिव / प्राचार्य, आदर्श कॉलेज ऑफ एजूकेशन, ग्राम–आनन्दपुरी, तहसील–आनन्दपुरी, जिला–बांसवाड़ा–327031
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः—एफ24(892) NOC18-19/ बी.एड / आकाशि / 18 / 726 दिनांकः— 30-3-2018

आदेश

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के मान्यता आदेश के अनुसरण में निम्नलिखित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2018–19 के लिए **बी.एड. (2 वर्षीय पाठ्यक्रम)** के संचालन हेतु केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्द्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रवेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के माध्यम से पी.टी.ई.टी. परीक्षा की मैरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेगें।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियो से नही लेंगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है,तो सबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नही करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
5. **समस्त शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थायें स्वयं की वेबसाईट निर्मित करेगें। उसके URL Name को आवेदन में अंकित करना होगा। इस वेबसाईट मे महाविद्यालय को निम्न बिन्दुओ का आवश्यक रुप से उल्लेख करना होगा :—**
   i. महाविद्यालय की आधारभूत संरचना से सम्बन्धित दस्तावेज
   ii. महाविद्यालय भवन मे उपलब्ध कक्षों की संख्या, प्रयोगशाला, माप एवं चित्र
   iii. महाविद्यालय में संचालित कोर्स में नामांकित छात्रों की संख्या (कुल स्वीकृत सीट,प्रवेशित छात्रों की संख्या)
   iv. एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के नियमानुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक
   v. स्टॉफ की सूची
   vi. प्रत्येक 15 दिन में वेबसाईट अपडेट भी करनी होगी।

क्र सं	संस्था का नाम व पता	पाठ्यक्रम का नाम	एन.सी.टी.ई के मान्यता आदेश क्रमांक व दिनांक	सीट संख्या	सहशिक्षा / महिला
1	Adarsh College of Education, Village -Anandpuri, Mangarh Road, Tehsil-Anandpuri, District-Banswara-327031	B.Ed. (2 Year)	NRC/NCTE/NRCAPP-2016-16161/Recognition/271st Meeting/2017/177697 dt.20.06.2017 and Revised Order No. 189844-49 dt. 01-03-2018	100 (2 Unit)	सहशिक्षा

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

29/3

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव,अति0मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त,कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।
4. संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4)विभाग,राजस्थान,जयपुर।
5. समन्वयक, बी.एड., बी.ए.बी.एड./बी.एससी. 2018 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा को भेजकर लेख कि संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एन.सी.टी.ई. के मान्यता पत्र बिन्दु 4 व 5 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
7. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., जीवन बीमा भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग,जयपुर।
8. परियोजना अधिकारी,राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय,जयपुर।
9. सचिव/ प्राचार्य, आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ग्राम–आनन्दपुरी, तहसील–आनन्दपुरी, बांसवाड़ा।
10. प्रभारी वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा,राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

Secretary
Padmasana Education Socit.
Bagidora Distt. Banswara (Raj.)